मुलतानीमल मोदी कॉलेज
मोदीनगर–201204(उ0प्र0)

(सम्बद्ध–चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के द्वारा मूल्यांकित–बी*)

दूरभाष संख्या : 01232–243492
फैक्स संख्या : 01232–223620

वैबसाइट : www.mmcmodinagar.ac.in
ई–मेल : info@mmcmodinagar.ac.in

पत्रांकः

दिनांकः 02–07–2024

सत्र 2024–25 हेतु कैन्टीन एंव साईकिल स्टैण्ड आवंटन करने हेतु सूचना

सूचित करना है कि महाविद्यालय में संचालित कैन्टीन एंव साईकिल स्टैण्ड का ठेका सत्र 2024–25 हेतु दिया जाना है (देय, ठेका 30 जून 2025 को स्वतः ही समाप्त हो जायेगा)। कैन्टीन या साईकिल स्टैण्ड का ठेका प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें होंगीः

01. कैन्टीन, साईकिल स्टैण्ड चलाने का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
02. पुलिस वैरीफिकेशन के बाद ही ठेका दिया जायेगा।
03. दो–दो गवाह के हस्ताक्षर अनुबन्ध पर कराने होंगे।
04. कैन्टीन के लिए रू0 25000/– एंव साईकिल स्टैण्ड के लिए रू0 100,000/– प्रतिभूति धनराशि अलग–अलग जमा करानी होगी (प्रतिभूति धनराशि अनुबन्ध समाप्त होने पर ब्याज रहित लौटा दी जायेगी)।
05. साईकिल स्टैण्ड/कैन्टीन आवंटन होने की दशा में ठेकेदार को अनुबन्ध एंव प्रतिभूति धनराशि एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी।
06. साईकिल स्टैण्ड/कैन्टीन आवंटन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.07.2024 है।
07. आवेदन पत्र के साथ रू0 25000/– का ड्राफ्ट मुलतानीमल मोदी कॉलेज, मोदीनगर के नाम देय होगा, ठेका न मिलने की स्थिति में धनराशि एक सप्ताह में वापस लौटा दिया जायेगी।
08. कैन्टीन एंव साईकिल स्टैण्ड़ का किराया, बोली के आधार पर तय होगा।
09. किराये की अधिक बोली बोलने वाला व्यक्ति यदि एक सप्ताह में उक्त सभी शर्तों को पूर्ण नही करता है तो अनुबन्ध हेतु कार्यवाही निरस्त करते हुए अन्य को ठेका दे दिया जायेगा।
10. कैन्टीन/साईकिल स्टैण्ड़ का छः माह का किराया अग्रिम रूप में जमा करना होगा।
11. कैन्टीन/साईकिल स्टैण्ड में होने वाली चोरी आदि नुकसान की भरपाई प्रतिभूति धनराशि से की जायेगी।

11. ठेकेदार को सामान्यतः प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक एंव परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्यक्रमानुसार उपस्थित रहना होगा।

12. कैन्टीन एंव साईकिल स्टैण्ड के बाहर रेट लिस्ट लगानी होगी।

13. महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चाय रू0 07/– की देनी होगी।

14. धूम्रपान, गुटखा, तम्बाकू आदि नशे से सम्बन्धित किसी भी सामान की बिक्री नही करेंगे। शासन द्वारा पूर्ण प्रतिबन्धित होने के कारण विधिक कार्यवाही की जायेगी। M.R.P. से ज्यादा मूल्य पर किसी सामान की बिक्री नहीं करेंगे।

15. कैन्टीन में बेचे जाने वाली समस्त खाद्य सामग्री व पेय पदार्थ उच्च स्तरीय का होना चाहिये। एक्सपायरी सामान बेचने पर विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

16. कैन्टीन से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाने से यदि किसी विद्यार्थी को दुष्प्रभाव होता है तो उसकी जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी।

17. महाविद्यालय और ठेकेदार के मध्य होने वाला अनुबन्ध रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत कराना होगा। अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न होने अथवा अन्य की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(प्रो0 दीपक कुमार अग्रवाल)
कार्य0 प्राचार्य

प्रतिलिपिः प्रो0 हरीश कुमार, चीफ प्रोक्टर, मुलतानीमल मोदी कॉलेज, मोदीनगर को सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रो0 दीपक कुमार अग्रवाल)
कार्य0 प्राचार्य